ऑन लाईन नं. GCMS 2025/30

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 06/2025

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री वरूण कुमार गर्ग पुत्र श्री विजय गर्ग (मालिक व विकेता), सी–14, मॉडल टाउन–2, जिला श्रीगंगानगर, मै. श्री साईं फूड्स, शॉप न. 3, वृद्ध आश्रम रोड, शिव मंदिर के सामने, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक: 30.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023 दिनांक 13.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/660 दिनांक 16.03.2024 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया, निरन्तरता में परिवादी का खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कमांक–प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप–3–2023 दिनांक 1.10.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक– आयुक्ता–खासुऔनि/संस्था/2024/2098 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.06.2024 को समय दोपहर 6.45 पी.एम. बजे **मैसर्स– श्री साई फूड्स, शॉप नं.03 वृद्ध आश्रम रोड, शिव मन्दिर के सामने, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर विक्रेता **श्री वरुण कुमार गर्ग पुत्र श्री विजय गर्ग** को अपना परिचय दे कर संस्थान में गाय का **घी (मिल्कीओ ब्राण्ड)** 1 लीटर के 22 कार्टून में (प्रत्येक में 15 नग) 330 लीटर जार पैक 500 एम एल के 12 कार्टुन (प्रत्येक में 30 नग) 180 लीटर कुल 510 लीटर के बारे में जानकारी चाही, तो इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान मे रखें गाय का **घी (मिल्कीओ ब्राण्ड)** 1 लीटर के 22 कार्टून मे (प्रत्येक मे 15 नग) 330 लीटर जार पैक 500 एम एल के 12 कार्टुन (प्रत्येक मे 30 नग) 180 लीटर कुल 510 लीटर को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से **गाय का घी (मिल्कीओ ब्राण्ड)** नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने व आवेक ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे **गाय का घी (मिल्कीओ ब्राण्ड)** 1 लीटर के 22 कार्टून में (प्रत्येक में 15 नग) 330 लीटर जार पैक, 500 एम एल के 12 कार्टुन (प्रत्येक में 30 नग) 180 लीटर, कुल 510 लीटर में से 4 मूल जार पैक (500 एम एल गुणा 4 = 2 लीटर) खाद्य पदार्थ **गाय का घी (मिल्कीओ ब्राण्ड)**

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा
श्रीगंगानगर (राज.)

को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **गाय का घी (मिल्कीओ ण्ड)** का नगद भुगतान 700 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियॉं तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री वरूण कुमार गर्ग पुत्र श्री विजय गर्ग (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री वरूण कुमार गर्ग पुत्र श्री विजय गर्ग (मालिक व विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का घी (मिल्कीओ ब्राण्ड)** 04 मूल जार पैक (500एमएल गुणा 4 =2 लीटर) खाद्य पदार्थ **गाय का घी (मिल्कीओ ब्राण्ड)** पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2365** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2365** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री वरूण कुमार गर्ग पुत्र श्री विजय गर्ग (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। **नमूना लेने के पश्चात् शेष 508 लीटर गाय का घी(मिल्कीओ ब्राण्ड) को सीजर मेमो 02 को तैयार कर सीज किया गया। सीजर मेमो 2 व 3 संलग्न है।**

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./795/Act/202/795 Dated 24-06.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2365 Unsafe Food & Substandard Food** होना पाया गया। फूड एनालिस्ट बीकानेर से नूमने की जांच प्राप्त होने पर विकेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया एवं जांच से अंसतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जाचं हेतु **श्री वरूण कुमार गर्ग पुत्र श्री विजय गर्ग (मालिक व विक्रेता)** ने आवेदन प्रस्तुत किया। आवदेन करने के पश्चात् रैफरल फूड लैबोरेट्री, पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट सं. RFL/P/DO-666/24/568/2024 Dated 29.08.2024 में खाद्य पदार्थ का नमूना **Sub-**

अति० जिला कलेक्टर (प्रशास.
श्रीगंगानगर (राज.)

Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री वरूण कुमार गर्ग पुत्र श्री विजय गर्ग (मालिक व विक्रेता), सी–14, मॉडल टाउन–2, जिला श्रीगंगानगर, मै. श्री साई फूड्स, शॉप न. 3, वृद्ध आश्रम रोड, शिव मंदिर के सामने, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का गाय का घी (मिल्कीओ ब्राण्ड) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 08.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 1 के तथ्य जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसके द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है। उक्त मद में अंकित कथन नोटिफिकेशन को आवेदक साक्ष्य व प्रमाण से साबित करें।

2. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 2 के वाक्यांत आंशिक स्वीकार है। उक्त नमूनीकरण का कार्य एफ एस ओ द्वारा विधिनुसार नहीं किया गया है।

3. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 3 के कथन आंशिक स्वीकार है। उक्त मद के अनुसार केशमीमों बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर होना बताया गया है जबकि उक्त कैशमीमों स्वंय एफ एस ओ ने विभाग द्वारा बनाये गये प्रारूप पर भी बनाया गया था। मिन एफ बी ओ से मेरी फर्म का मुद्रित/प्रिंट कैशमीमों लिया गया है। जिससे भी यह साबित होता है कि उक्त वाद मिन जवाबदाता से लिये गये सैम्पल के विरूद्ध नहीं है। उक्त तथ्य विरोधाभासी होने व भिन्न भिन्न होने के आधार पर भी उक्त परिवाद सव्यय निरस्तणीय है।

4. यह कि आवेदन पत्र की मद स. 4 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है।

5. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 5 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है। आवेदक एफ एस ओ द्वारा गवाहान के समक्ष नमूना सं. के 2365 मिन जवाबदाता के परिसर से गाय का घी मिल्कीओ ब्राण्ड का नमूना लिया गया। आवेदक द्वारा उक्त मद के नमूना लेते समय उसे एकरूपता प्रदान करने व किस आधान/वर्तन नमूना लिया गया के तथ्य अंकित नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक एफ एस ओ द्वारा उक्त नमूनीकरण का कार्य एफ एस ए के नियमानुसार नहीं किया गया है इस आधार पर भी उक्त वाद निरस्तणीय है।

6. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 6 के कथन स्वीकार है। उक्त मद अनुसार फर्द रिपोर्ट आवेदक एफ एस ओ द्वारा भरा गया था जिसपर मिन जवाबदाता सहित गवाह एवं एफ एस ओ के स्वंय के हस्ताक्षर है जिसे पूर्व में आवेदक द्वारा संलग्न परिवाद पेश किया गया है।

7. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 7 के कथन जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

8. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 8 के तथ्य स्वीकार है।

9. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 9 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

10. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 10 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

11. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 11 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

12. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 12 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

13. यह कि आवेदन पत्र की मद स. 13 के तथ्य निराधार होने के कारण अस्वीकार है मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार से विधि का उलंघन नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि विरूद्ध तथ्यों पर आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जो कि पोषणीय नहीं होने के कारण सव्यय निरस्तणीय है। उक्त पेरा मे अनसेफ फूड का विक्रय करने के आधार पर उक्त परिवाद श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जबकि अनसेफ फूड के आधार पर

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

मान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। इस आधार पर भी वाद निरस्तणीय है। अप्रार्थी बी ओ एफ एस ए की धारा 31 की उपधारा 2 की श्रेणी का कारोबारकर्ता है जिसकी श स्ति धारा 51 के तहत अधिरोपित नहीं की जा सकती है।

अतिरिक्त कथन :—

1. यह कि उक्त वाद पत्र के साथ आवेदक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओं के अभाव में निरस्तणीय है।

2. यह कि उक्त वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधान में नमूना लिया गया एंव नमूने को एकरूपता प्रदान करने के कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो कि आवेदक द्वारा नमूनीकरण के समय लिये गये सैम्पल को एक रूप किया गया जो कि विधिनुसार आवश्यक था। जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना सं. K–2365 लेते समय एफ एस एस ए के नियमो की पालना नहीं की गई है। न्याय दृष्टान्त FAC 207, 2014 (1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है।

3. यह कि आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता, पैकिगकर्ता एंव विक्रेता कम्पनी उत्तरदायी है। जबकि उक्त खाद्य पदार्थ में पाये गये दोष निर्माता से सम्बन्धित होने के कारण इस कृतय के लिए विधिनुसार निर्माता एंव पैकिंगकर्ता ही दोषी माना जाना न्यायोचित होने के कारण उक्त के निर्माता का उक्त वाद में पक्षकार है अतः उक्त दोष हेतु निर्माता एंव पैकिंगकर्ता को दोषी करार दिया जाना न्यायोचित है।

4. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO व जन विश्लेषक को गवाही के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह तु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावे जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।

5. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनाँक 19.02.2015 FAC 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है जिसकी प्रति संलग्न दस्तावेज है।

6. यह कि अन्य कथन बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एंव FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या K–2365 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जॉच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का घी (मिल्कीओ ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-2365** रैफरल फूड लैबोरेट्री, पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट सं. RFL/P/DO-666/24/568/2024 Dated 29.08.2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एंव FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या K–2365 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जॉच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Ghee(Milkio brand)"** bearing Code No and Sr. No. **K-2365, Does not Conforms to the standard of Ghee as per Regulation No. 2.1.8 of the** Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence found to be Sub-standard as per section3(1)(zx) of Food Safety & Standard Act2006. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री वरूण कुमार गर्ग पुत्र श्री विजय गर्ग (मालिक व विक्रेता), सी–14, मॉडल टाउन–2, जिला श्रीगंगानगर, मै. श्री साई फूड्स, शॉप न. 3, वृद्ध आश्रम रोड, शिव मंदिर के सामने, जिला श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री वरूण कुमार गर्ग पुत्र श्री विजय गर्ग (मालिक व विक्रेता), सी–14, मॉडल टाउन–2, जिला श्रीगंगानगर, मै. श्री साई फूड्स, शॉप न. 3, वृद्ध आश्रम रोड, शिव मंदिर के सामने, जिला श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सीज 508 लीटर गाय का घी(मिल्कीओ ब्राण्ड) का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 कि तहत चेतावनी देते हुए नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।